समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976
एवं
न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948

प्रकाशक
'न्याय सदन'
झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार
डोरण्डा, राँची

समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976

एवं

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948

प्रकाशक :

'न्याय सदन'

झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार

डोरण्डा, राँची

समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976

अधिनियम के अन्तर्गत परिभाषाएं :

1. **पारिश्रमिक** : पारिश्रमिक से अर्थ है किसी व्यक्ति को उसके काम के बदले में दी जाने वाली मजदूरी या वेतन और अतिरिक्त उपलब्धियां चाहे वे नकद या वस्तु के रूप में दी गयी हों।
2. **एक ही काम या समान प्रकृति का काम** : एक ही काम या समान प्रकृति के काम से तात्पर्य ऐसे कार्य से है जिसके करने में समान मेहनत, कुशलता या जिम्मेदारी की जरूरत हो, जब वह समान परिस्थिति में किसी महिला या पुरूष द्वारा किया जाता हो।

पुरूष और महिला काम करने वालों को एक ही काम या समान प्रकृति के काम के लिए समान मजदूरी देने के लिए मालिक के कर्तव्य :

कोई भी मालिक किसी मजदूर को लिंग के आधार पर एक ही काम या समान प्रकृति के काम के लिए कम मजदूरी या वेतन नहीं देगा।

भर्ती में लिंग के आधार पर भेदभाव : कोई भी व्यक्ति समान प्रकृति के काम की भर्ती के दौरान पुरूष व महिला में लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। पदोन्नति (प्रोमोशन) अभ्यास (प्रशिक्षण) या स्थानान्तरण (ट्रान्सफर) में भी भेदभाव नहीं किया जा सकता है।

परन्तु अगर कोई कानून किसी कार्य में महिला की भर्ती पर रोक लगाता है तो यह अधिनियम उस कार्य पर लागू नहीं होगा।

सलाहकार समितियां : महिलाओं के रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराने के लिए सरकार एक या एक से ज्यादा सलाहकार समितियों का गठन करेगी। जो ऐसे प्रतिष्ठानों या केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित रोजगारों में महिलाओं को नियोजित करने की सीमा के सम्बन्ध में सलाह देगी।

सलाहकार समिति अपनी सलाह सरकार को सौंपते समय प्रतिष्ठानों में काम करने वाली महिलाओं की संख्या, काम की प्रकृति, काम के घंटे और वह सभी आवश्यक बातें जो महिलाओं को रोजगार प्रदान करने के अवसरों को बढ़ावा देती हों उनका ध्यान रखेगी।

शिकायतें एवं दावे

सरकार अधिसूचना द्वारा अधिकारियों की नियुक्ति करेगी जो इस अधिनियम के उल्लंघन की शिकायतें और समान मजदूरी न प्राप्त होने से सम्बन्धित दावों की सुनवाई और उन पर फैसला देंगे। यह अधिकारी श्रम अधिकारी के पद से नीचे का नहीं होगा।

यह अधिकारी पूरी जांच के बाद शिकायत करने वाले को समान मजदूरी के संबंध में वह रकम जिसका वह हकदार है देने का आदेश देगा। तथा यह अधिकारी मालिक को आदेश दे सकता है कि वह ऐसे कदम उठाए जिससे इस अधिनियम का पालन हो सके।

अगर शिकायतकर्ता या मालिक आदेश से खुश नहीं है, तो वह 30 दिन के भीतर सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी के सामने अपील कर सकते हैं।

रजिस्टर : प्रत्येक मालिक उसके द्वारा नियुक्त कार्य करने वालों की सूची का रजिस्टर बनाएगा।

निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) – सरकार इस अधिनियम के अन्तर्गत एक निरीक्षक नियुक्त करेगी जो यह देखेगा कि इस अधिनियम के अन्तर्गत दिए गए नियमों का पालन हो रहा है या नहीं।

निरीक्षक किसी कार्य स्थान में जा सकता है, किसी भी व्यक्ति से पूछताछ कर सकता है और कोई भी कागजी रिकार्ड देख या मंगवा सकता है या उसकी फोटो कापी करवा सकता है। निरीक्षक जब किसी व्यक्ति को पूछताछ या कागजी रिकार्ड के संबंध में बुलाता है तो ऐसे व्यक्ति का आना जरूरी है।

दण्ड एवं सजा : इस अधिनियम के अन्तर्गत अगर कोई भी मालिक

1. अपने मजदूरों का रजिस्टर सुरक्षित नहीं रखता है।

2. किसी भी तरह का कागजी रिकार्ड जो मजदूरों से सम्बन्ध रखता है पेश नहीं करता।

3. किसी मजदूर को पेश होने से रोकता हो।

4. कोई सूचना देने से इन्कार करता है।

तो उसे एक महीने की जेल एवं 10,000 रूपये तक का जुर्माना हो सकता है।

इसी तरह अगर कोई मालिक किसी मजदूर को

- ❖ समान मजदूरी अधिनियम का उल्लंघन करके भर्ती करता है।
- ❖ वेतन में लिंग के आधार पर भेदभाव करता है।
- ❖ किसी भी प्रकार का लिंग सम्बन्धित भेदभाव करता है।
- ❖ सरकार के आदेशों का पालन नहीं करता है।

तो उसे कम से कम 10,000 रूपये और अधिक से अधिक 20,000 रूपये तक का जुर्माना हो सकता है या कम से कम 3 महीने, और अधिक से अधिक एक साल तक की जेल या दोनों भी हो सकते हैं। अगर वह व्यक्ति दोबारा ऐसे अपराध का दोषी पाया जाता है, तो उसे दो साल तक की जेल हो सकती है।

अगर कोई भी व्यक्ति मालिक के कहने पर कोई भी कागजी रिकार्ड छिपाता है या उपलब्ध कराने से इन्कार करता है तो उसे 500 रूपये का जुर्माना हो सकता है।

इन सभी अपराधों की जांच प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में ही होगी।

कम्पनी द्वारा अपराध

अगर यह अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया हो, तो वह व्यक्ति जो उस समय कम्पनी के कार्य को देख रहा हो और जिसका कम्पनी के कार्य पर पूर्ण रूप से नियंत्रण हो वह व्यक्ति और कम्पनी जिम्मेदार माने जाएंगे।

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948

अधिनियम के अन्तर्गत परिभाषाएं :

(1) मजदूरी : इस अधिनियम के अनुसार 'मजदूरी' का अर्थ धन से है जो किसी व्यक्ति द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति के लिए किये गये श्रम के बदले प्राप्त होती है। मजदूरी के अन्तर्गत घर का किराया भी आता है। लेकिन मजदूरी के अन्तर्गत कुछ चीजें नहीं आती हैं जैसे ग्रहवास सुविधा, बिजली व पानी का खर्च, एवं पेंशन या भविष्य निधि, यात्रा का खर्चा और ग्रेच्युटी इत्यादि।

(2) कर्मचारी : इस अधिनियम के अन्तर्गत वह व्यक्ति कर्मचारी माना जाता है जो, भाड़े पर या इनाम के लिए चाहे वह कुशल या अकुशल कार्य, शारीरिक या लिपिकीय कार्य करता हो जिसके लिए न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की जा चुकी हो। इसमें वह बाहरी मजदूर भी आते हैं जो किसी भी प्रकार के परिसर में निम्नलिखित कार्य करते हैं :

1. वस्तु को बनाने का कार्य करता हो,
2. साफ करने का कार्य करता हो,
3. मरम्मत करता हो,
4. वस्तु को बेचता हो, या
5. हाथ से किया गया क्लर्क (लिखा–पढ़ी)का कार्य करता हो,

(3) नियोजक / मालिक : इस अधिनियम के अन्तर्गत नियोजक या मालिक वह व्यक्ति कहलाया जाता है जो किसी कर्मचारी को कोई कार्य करने के लिए स्वयं या दूसरे के द्वारा उन प्रतिष्ठानों में जिन पर न्यूनतम मजदूरी अधिनियम लागू होता है कार्य पर लगाता है –

1. इसके अतिरिक्त कोई भी फैक्ट्री मालिक या मैनेजर।
2. कोई भी ऐसा कार्य जिसका नियंत्रण सरकार के हाथों में है वहाँ

पर सरकार द्वारा नियंत्रण एवं देखरेख के लिए नियुक्त व्यक्ति मालिक कहा जाएगा। और जहां ऐसे किसी व्यक्ति की नियुक्ति नहीं हुई है वहां उस विभाग का प्रधान अधिकारी मालिक कहा जाएगा।

मजदूरी की न्यूनतम दर क्या है ?

मजदूरी की न्यनतम दर को सरकार समय–समय पर तय करती है। यह न्यूनतम दर रहने के खर्च के साथ भी हो सकती है और नहीं भी

सरकार हर पाँच वर्ष के अन्तराल पर मजदूरी की न्यूनतम दर तय करेगी।

वेतन के स्थान पर वस्तु

इस अधिनियम के अन्तर्गत वेतन भत्ता रूपये में दिया जाएगा। लेकिन अगर सरकार को ऐसा लगता है कि किसी क्षेत्र में यह रीति–रिवाज चली आ रही है कि काम के बदले धन की जगह वस्तु प्रदान की जाती है, तो सरकार इसे अधिसूचित कर सकती है। इसके अतिरिक्त अगर सरकार को यह लगता है कि आवश्यक वस्तुओं को रियायती दरों पर देने के लिए प्रावधान बनाना जरूरी हो तो ऐसा कर सकती है।

कार्य पर अतिरिक्त समय

कोई मजदूर जिसकी न्यूनतम मजदूरी इस अधिनियम के अन्तर्गत घंटे, दिन इत्यादि के अनुसार तय की गई हो, अगर काम के साधारण समय से ज्यादा काम करता है तो मालिक को अतिरिक्त समय (ओवर टाइम) का वेतन मजदूर को देना होगा।

असमान कार्यों के लिए न्यूनतम वेतन

अगर कोई मजदूर एक से ज्यादा कार्य करता है जो एक समान नहीं है और जिनकी न्यूनतम मजदूरी की दर भी एक समान नहीं है

तो मालिक को उसके कार्य के समय के अनुसार उस सम्बन्धित कार्य की उपलब्ध न्यूनतम मजदूरी देनी होगी।

अगर किसी कार्य की मजदूरी वस्तु बनाने पर आधारित है एवं उसकी न्यूनतम मजदूरी समय पर आधारित है तो मालिक को उस समय की तय न्यूनतम मजदूरी देनी होगी। इस अधिनियम के अन्तर्गत मजदूरों के द्वारा किये जाने वाले काम के घन्टे भी तय किये जाएंगे और मजदूरों को हफ्ते में एक दिन की छुट्टी भी दी जाएगी।

रजिस्टर एवं रिकार्ड आदि का रखना

प्रत्येक मालिक का यह कर्तव्य है कि वह अपने यहां काम करने वाले मजदूरों के बारे में जानकारी देगा और उनके द्वारा किया जाने वाला काम और उनको मिलने वाली मजदूरी आदि को रजिस्टर में दर्ज करेगा।

निरीक्षक

सरकार न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अन्तर्गत निरीक्षक नियुक्त कर सकती हैं। और उसके कार्य करने के अधिकार, शक्तियाँ और सीमाओं को निश्चित कर सकती है। निरीक्षक किसी भी कार्य स्थान जहाँ मजदूर काम करते हों वहाँ निरीक्षण कर सकता है। किसी भी रिकार्ड को जब्त कर सकता है और उस रिकार्ड की छाया प्रति भी ले सकता है। निरीक्षक इस बात की भी जानकारी ले सकता है कि मजदूरी की न्यूनतम दर क्या है।

दावे

यदि किसी मजदूर को उसकी मजदूरी की न्यूनतम दर नहीं मिलती है तो वह श्रम–आयुक्त के सामने इसकी शिकायत कर सकता है। सरकार श्रम–आयुक्त की नियुक्ति करेगी।

मजदूर इस अधिनियम के अन्तर्गत अपने दावों के लिए खुद अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकता है, उसे वकील की आवश्यकता नहीं है।

अगर वह चाहे तो किसी वकील को या किसी मजदूर यूनियन के अधिकारी को अपने दावे को प्रस्तुत करने के लिए नियुक्त कर सकता है। लेकिन यह जरूरी नहीं कि जिस दिन से न्यूनतम की दर न मिली हो आवेदन उस दिन के छः महीने के भीतर पेश किया गया हो, दावे का आवेदन सम्मिलित होने के बाद श्रम आयुक्त मजदूर और मालिक के पक्ष को सुनेगा और पूरी जांच के बाद निर्देश देगा।

श्रम आयुक्त मजदूर (आवेदनकर्ता) को वह रकम जो उसे न्यूनतम मजदूरी से कम मिली है देने का निर्देश दे सकता है। और साथ ही मुआवजा भी दे सकता है जो कि ऐसी रकम से 10 गुना से ज्यादा नहीं होगा।

आवेदन पर सुनवाई करने वाले अधिकारी को दीवानी न्यायालय के समान माना जाएगा। और वह सारी प्रक्रिया जो दीवानी मुकदमों में होती हैं इन दावों में भी यही प्रक्रिया चलेगी। इस अधिनियम के अन्तर्गत सुनवाई करने वाले अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

जुर्म के लिए दण्ड

अगर कोई भी मालिक किसी मजदूर को इस अधिनियम के अनुसार न्यूनतम मजदूरी नहीं देता है तो उसे छः महीने की जेल या 500 रूपये जुर्माना या दोनों भी हो सकते हैं।

कम्पनी के द्वारा उल्लंघन

अगर यह जुर्म कोई कम्पनी द्वारा किया गया है तो वह व्यक्ति जो उस वक्त कम्पनी के काम का प्रभारी था कम्पनी के साथ इसके लिए जिम्मेदार माना जाएगा।

❖❖❖

प्रकाशक
'न्याय सदन'
झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार
डोरण्डा, राँची
फोन : 0651–2481520, 2482392 फैक्स : 0651–2482397
ई–मेल : jhalsaranchi@gmail.com
वेबसाइट : http://www.jhalsa.nic.in